हरिभूमि
रायपुर भूमि - Page 1
14 July 2025

कोल घोटाले की जांच ईडी-ईओडब्लू के बाद अब सीबीआई के सुपुर्द

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

राज्य के चर्चित 570 करोड़ रुपए के कोल घोटाले की जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (डीएसपीई एक्ट) की धारा-6 के तहत सीबीआई से कराने राज्य शासन ने विधिवत स्वीकृति दे दी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन के नाम पर 570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। हर टन कोयले पर 25 रुपए की दर से यह वसूली की जाती थी।

- सभी आईजी, एसपी को सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश

कोल घोटाले का मास्टरमाइंड कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को माना जा रहा है। ईडी के अनुसार, सूर्यकांत तिवारी ने अफसरों, ट्रांसपोर्टरों और दलालों की मदद से यह पूरा तंत्र खड़ा किया था। सूर्यकांत तिवारी इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और उसकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। रविवार को सूर्यकांत के भाई नवनीत तिवारी को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। गृह विभाग की फाइल (क्रमांक एफ नो. 4-10/होम-सी/) और पुलिस मुख्यालय के सीआईडी लीगल सेक्शन ने सभी रेंज आईजी और जिलों के एसपी को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि सीबीआई को जांच में सहयोग करें और सभी दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराएं।

ईडी ने कोर्ट में दायर किया था परिवाद

कोल घोटाले की जांच सीबीआई से कराने ईडी ने दो वर्ष पूर्व 14 अगस्त 2023 को बिलासपुर हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया था। ईडी ने याचिका में आरोप लगाया था कि उन्होंने पीएमएलए की धारा 66 के तहत राज्य सरकार को घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे, मगर कार्रवाई नहीं हुई। ईडी ने यह भी कहा था कि राज्य के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एसीबी, ईओडब्ल्यू में अधिकांश अधिकारी राज्य सरकार के अधीन हैं, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े होते हैं।